[1][धारा 44 : वार्षिक विवरणी

[2][(1)] किसी इनपुट सेवा वितरक से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्रारूप और रीति में, जिसे विहित किया जाए, संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित पूर्तियों के मूल्य के साथ सुमेलित करते हुए, एक स्वप्रमाणित सुमेलन विवरण सम्मिलित किया जा सकेगा :

---

1 वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का क्रमांक 13) द्वारा धारा 44 प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 29/2021–केन्द्रीय कर, दिनांक 30.07.2021 द्वारा इसको दिनांक 01.08.2021 से प्रभावशील किया गया। प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थी :

धारा 44 : वार्षिक विवरणी

(1) इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रोनिकी रूप में ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् आने वाले इकतीस दिसम्बर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

[A][**परन्तु** आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की समय–सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय–सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।]

(2) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे धारा 35 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार उसके लेखाओं की संपरीक्षा करवाने की अपेक्षा है, वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षित प्रति और एक समाधान विवरण के साथ वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत विवरणी में घोषित् पूर्तियों के मूल्य को संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ मिलाते हुए और ऐसी अन्य विशिष्टियों, जो विहित की जाएं, के साथ इलैक्ट्रोनिक रूप में उपधारा (1) के अधीन एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

[B][**स्पष्टीकरण**-इस धारा के प्रयोजन के लिए वह घोषणा की जाती है कि, 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के लिए वार्षिक विवरणी [G][31 जनवरी, 2020] को या उससे पहले प्रस्तुत की जा सकेगी और 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के लिए वार्षिक विवरणी 31 मार्च, 2020 को या उससे पहले प्रस्तुत की जा सकेगी।]

A. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 द्वारा परन्तुक अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।

B. केन्द्रीय माल और सेवा कर (कठिनाईयों को दूर करना) ओदश, 2019 [आदेश क्रमांक 8/2019–केन्द्रीय कर] दिनांक 14.11.2019 द्वारा स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित।

प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार था :

[C][**स्पष्टीकरण**-इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह घोषणा की जाती है कि 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 की अवधि के लिए वार्षिक विवरणी [D][30 नवम्बर, 2019] को या उससे पहले प्रस्तुत की जा सकेगी।

C. यह स्पष्टीकरण केन्द्रीय माल और सेवा कर (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2018 [आदेश क्रमांक 1/2018–केन्द्रीय कर] दिनांक 11.12.2018 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था।

D. केन्द्रीय माल और सेवा कर (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2019 [आदेश क्रमांक 7/2019–केन्द्रीय कर] दिनांक 26.08.2019 द्वारा "[E][31 अगस्त, 2019]" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

E. पहले केन्द्रीय माल और सेवा कर (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2019 [आदेश क्रमांक 6/2019–केन्द्रीय कर] दिनांक 28.06.2019 द्वारा "[F][30 जून, 2019]" के स्थान पर ''31 अगस्त, 2019'' प्रतिस्थापित।

F. इसके पहले केन्द्रीय माल और सेवा कर (कठिनाईयों को दूर) आदेश, 2018 [आदेश क्रमांक 3/2018–केन्द्रीय कर] दिनांक 31.12.2018 द्वारा ''31 मार्च, 2019'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

G. केन्द्रीय माल और सेवा कर (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2019 [आदेश क्रमांक 10/2019–केन्द्रीय कर] दिनांक 26.12.2019 द्वारा ''31 दिसम्बर, 2019'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

अधिसूचना क्रमांक 6/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 03.02.2020 द्वारा जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 की अवधि के लिए वार्षिक रिटर्न (फार्म 9) और जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट (फार्म 9–C) प्रस्तुत करने की नियत तारीख 5/07.02.20 तक बढ़ाई गई।

2 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित। (प्रभावशील दिनांक 01.10.2023)।

परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचिना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस धारा के अधीन वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट प्रदान कर सकेगा :

परन्तु यह और इस धारा में की गई कोई बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकारी को, जिनकी लेखाबहियां भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा के अधीन है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा की जाने वाली संपरीक्षा के अध्यधीन है, लागू नहीं होगी।**]**

[3][**(2)** किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को उपधारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के लिये उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारिख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिये अनुज्ञात नही किया जाएगा :

परंतु सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तो और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को, उपधारा (1) के अधीन वित्तीय वर्ष के लिये वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उक्त वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने की नियत तारिख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् भी अनुज्ञात कर सकेगी।**]**

उपयुक्त नियमः नियम 68 एवं 80

उपयुक्त प्रारूपः प्रारूप जीएसटीआर–3क, जीएसटीआर–9, जीएसटीआर–9क, जीएसटीआर–9ख, एवं जीएसटीआर–9ग

---

3 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा उपधारा (2) अंतः स्थापित। (प्रभावशील दिनांक 01.10.2023)।